बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

अधिसूचना

संचिका सं0–3/अंगु0–01–01/2016................/ भारत के संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक एवं पुलिस हस्तक भाग–03, के परिशिष्ट–25 के नियम–12 के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल एतद् द्वारा गृह विभाग के नियंत्रणाधीन अपराध अनुसंधान विभाग के बिहार राजकीय अंगुलांक परीक्षक संवर्ग में भर्ती की प्रक्रिया तथा अन्य सेवा शर्तो को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।** – यह नियमावली "बिहार राजकीय अंगुलांक परीक्षक संवर्ग **(भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2018"** कही जा सकेगी।
   - (i) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
   - (ii) यह तुरत प्रवृत होगी।

2. **परिभाषाएँ। –जबतक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में :–**
   - (i) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है राज्यपाल, बिहार,
   - (ii) "सरकार" से अभिप्रेत है बिहार सरकार,
   - (iii) "विभाग" से अभिप्रेत है गृह विभाग (आरक्षी शाखा),
   - (iv) "राजस्व पर्षद्" से अभिप्रेत है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत राजस्व पर्षद्,
   - (v) "आयोग" से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग,
   - (vi) "संवर्ग" से अभिप्रेत है बिहार राजकीय अंगुलांक परीक्षक संवर्ग,
   - (vii) "संवर्ग के सदस्य" से अभिप्रेत है बिहार राजकीय अंगुलांक परीक्षक संवर्ग में इस नियमावली के उपबधों के अधीन नियुक्त एवं पूर्व से नियमित रूप से नियुक्त होकर कार्यरत व्यक्ति।

(viii) "विभागीय प्रोन्नति समिति" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा विभागीय प्रोन्नति के लिए सम्यक रूप से गठित समिति।

(ix) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है राज्यपाल, बिहार

(x) "संवर्ग नियंत्री प्राधिकार" से अभिप्रेत है गृह विभाग (आरक्षी शाखा)

(xi) "वर्ष" से अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष।

3. **सेवा की संरचना।** –

(i) इस संवर्ग में निम्नांकित पद होंगे :–

क्रमांक	पदनाम	
1	सहायक राजकीय अंगुलांक परीक्षक	मूल कोटि
2	उप राजकीय अंगुलांक परीक्षक–सह–उप निदेशक	प्रथम प्रोन्नति स्तर
3	राजकीय अंगुलांक परीक्षक–सह–निदेशक	द्वितीय प्रोन्नति स्तर

संवर्ग के विभिन्न पदों का स्वीकृत बल एवं उनका वेतनमान वही होगा जो समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित किया जाय।

(ii) यह संवर्ग राज्य स्तरीय संवर्ग होगी और गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के अधीन होगी।

अध्याय– (II)
नियुक्ति

4. **नियुक्ति।** –

(i) इस संवर्ग की मूल कोटि **'सहायक राजकीय अंगुलांक परीक्षक'** के सभी पद आयोग की अनुशंसा पर सीधी नियुक्ति द्वारा भरे जायेंगें।

(ii) नियुक्ति एवं प्रोन्नति के लिए राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथा अधिसूचित आरक्षण एवं रोस्टर के प्रावधान इस संवर्ग में लागू होंगे।

5. **सीधी नियुक्ति हेतु अर्हता एवं प्रक्रिया।** –**(i) उम्र सीमा**–सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु आवेदन आमंत्रित करने वाले वर्ष के एक अगस्त को इक्कीस वर्ष से कम नहीं होगी। अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय–समय पर नियत की जाए।

(ii) **शैक्षणिक योग्यता।** –इस संवर्ग की मूल कोटि में नियुक्ति के लिए अहर्ता रसायन विज्ञान या भौतिकी विज्ञान या गणित या फोरेंसिक विज्ञान में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री या समकक्ष होगी।

(iii) **चयन प्रक्रिया।** – आयोग अपनी विहित प्रक्रिया के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन कर सकेगा एतदर्थ विषय/पाठयक्रम/अंक (साक्षत्कार तथा आवश्यकतानुसार लिखित परीक्षा के लिए) का निर्धारण आयोग के परामर्श से विभाग द्वारा किया जा सकेगा।

(iv) **चिकित्सा जाँच।** – अभ्यर्थियों की चिकित्सा जाँच, आयोग द्वारा निर्धारित प्रावधान के अनुसार की जाएगी। इसमें विशेष रूप से बिना चश्मा के दृष्टि सामान्य होनी चाहिए।

(v) **रिक्तियों की गणना एवं आयोग को इसकी सूचना।** – प्रत्येक वर्ष की पहली अप्रैल तक विभाग उस वर्ष बिहार राजकीय अंगुलांक परीक्षक संवर्ग में सीधी नियुक्ति द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियाँ की गणना करेगा और उसके अनुसार सीधी नियुक्ति द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की अधियाचना आयोग को 30 अप्रैल तक प्रेषित करेगा

(vi) **नियुक्ति।** – आयोग अधियाचित रिक्तियों के विरूद्ध विहित प्रक्रिया अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों की मेघा एवं आरक्षण कोटिवार अनुशंसा विभाग को करेगा, जिसके आधार पर नियुक्ति की जायेगी।

अध्याय– (III)

वरीयता, सम्पुष्टि एवं प्रोन्नति

6. **वरीयता।** – इस नियमावली के अधीन सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये गए सदस्यों की आपसी वरीयता आयोग द्वारा अनुशंसित मेधा सूची के आधार पर विनिश्चित की जाएगी।

7. **परिवीक्षा अवधि।** – नयी नियुक्ति परिवीक्षा के अधीन होगी। परिवीक्षा अवधि दो वर्षो की होगी, जिसे अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से एक और वर्ष के लिए विस्तारित किया जा सकेगा। विस्तारित अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी।

8. **प्रशिक्षण**।– (i) प्रशिक्षण की कुल अवधि दो वर्षो की होगी, जिसमें नवनियुक्त कर्मियों को निम्नलिखित आंतरिक प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगाः–

(क) अंगुलांक विज्ञान का प्रारम्भिक प्रशिक्षण – छः माह

(ख) पदांक विज्ञान का प्रशिक्षण – छः माह

(ग) अंगुलांक विज्ञान का गहन प्रशिक्षण – एक वर्ष

(ii) प्रशिक्षण के क्रम में निम्नलिखित परीक्षाओं में उत्तीर्णता हासिल करना अनिवार्य होगा :–

(क) अंगुलांक विज्ञान में छः माह का प्रारम्भिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् ब्यूरो निदेशक की निगरानी में अंगुलांक विज्ञान की लिखित एवं प्रायोगिक परीक्षा ।

(ख) पदांक विज्ञान में छः माह का प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् ब्यूरो निदेशक की निगरानी में पदांक विज्ञान की लिखित एवं प्रायोगिक परीक्षा।

(ग) अंगुलांक विज्ञान का गहन प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् केन्द्रीय अंगुलांक ब्यूरो (Central Finger Print Bureau) नई दिल्ली द्वारा अंगुलांक विशेषज्ञों के लिए आयोजित होने वाली अखिल भारतीय बोर्ड परीक्षा (All India Board Examination for Finger Print Experts)

(iii) अंगुलांक विज्ञान का प्रारम्भिक प्रशिक्षण तथा पदांक विज्ञान का विहित प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् परिवीक्षाधीन सदस्य अंगुलांक सर्च/रिकार्ड एवम् घटनास्थल निरीक्षण का दायित्व निर्वहन कर सकेंगें।

(iv) विशेषज्ञों के लिए आयोजित अखिल भारतीय बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्णता हासिल करते ही संवर्ग के सदस्य The Indian Evidence Act, Appendix-II, की धारा–45 में यथा विनिर्दिष्ट अंगुलांक विशेषज्ञ होंगे तथा अंगुलांक विशेषज्ञ के सभी कर्त्तव्य व दायित्वों का निर्वहन करने हेतु सक्षम हो सकेगें।

(v) इस संवर्ग के सदस्य को राज्य सरकार द्वारा प्रशिक्षण के लिए राज्य या राज्य से बाहर या विदेश में भेजा जा सकेगा।

9. **संपुष्टि।** :– परिवीक्षा अवधि की संतोषजनक समाप्ति, उपर्युक्त विभागीय परीक्षाओं/प्रशिक्षणों में उत्तीर्णता तथा राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करने पर सेवा सम्पुष्ट की जा सकेगी। परन्तु यदि किसी कारण से उक्त परीक्षाओं का आयोजन ससमय नहीं हो पाता है तो संवर्ग नियंत्री प्राधिकार वेतन वृद्धि या संपुष्टि के लिए आवश्यक उपर्युक्त अर्हताओं को शिथिल कर सकेंगें।

10. **प्रोन्नति।** – (i) इस संवर्ग के मूल कोटि से उपर के सभी पद सोपानों पर प्रोन्नति ठीक नीचे के पद सोपानों के सदस्यों में से वरीयता–सह–योग्यता के आधार पर विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर की जा सकेगी।

(ii) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विभिन्न पदों पर प्रोन्नति हेतु विहित न्यूनतम कालावधि तथा अन्य शर्तें, यदि कोई हो तो, उसे पूरा करना अनिवार्य होगा।

अध्याय– (IV)
प्रकीर्ण/अन्याय

11. **अनुशासन, अपील एवं शास्तियाँ।** – संवर्ग के सदस्य बिहार, सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के प्रावधानों से शासित होंगे।

12. **अवशिष्ट मामले** :– जो विषय अथवा बिन्दु इस नियमावली में समाहित नहीं है, उनके संबंध में बिहार पुलिस हस्तक/राज्य सरकार की प्रासंगिक संहिता/नियमावली/संकल्प/निदेश में समकक्ष कोटि के कर्मियों के संबंध में किए गए प्रावधान इस संवर्ग में भी लागू होगें।

13. **कठिनाईयों/शंकाओं का निराकरण** :– इस नियमावली के प्रावधानों के कार्यान्वयन से संबंधित विसंगितियों/शंकाओं के निराकरण की शक्ति संवर्ग नियंत्री प्राधिकार में निहित होगी एवं विधि विभाग के परामर्श के उपरांत उनके द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

14. **निरसन एवं व्यावृति।** –**(i)** इस नियमावली के प्रवृत होने के पूर्व राजकीय अंगुलांक परीक्षक की नियुक्ति से संबंधित सभी नियमावली/विनियमावली/संकल्प/आदेश एवं अनुदेश एतद् द्वारा निरसित किए जाते हैं।

(ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त नियमावली/विनियमावली/संकल्प/अनुदेश और आदेश आदि के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया या की गयी समझी जायेगी, मानो यह नियमावली उस तिथि को प्रवृत थी जिस तिथि को ऐसा कोई कार्य किया गया था या ऐसी कोई कार्रवाई की गयी थी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(दुर्गेश कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः— 3/अंगु0-01-01/2016, गृ0आ0 7106 / पटना, दिनांक 10/8/18

प्रतिलिपिः—अधीक्षक, राजकीय मुद्राणालय, गुलजारबाग, पटना–7/ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 के साथ राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशानार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि अधिसूचना की 200 अतिरिक्त प्रतियाँ कार्यालय प्रयोग हेतु गृह विभाग (आरक्षी शाखा) को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

10/08/18

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः— 3/अंगु0-01-01/2016, गृ0आ0 7106 / पटना, दिनांक 10/8/18

प्रतिलिपिः— पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/08/18

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः— 3/अंगु0-01-01/2016 गृ0आ0 7106 / पटना, दिनांक 10/8/18

प्रतिलिपिः— आई0टी0 प्रबंधक, ~~गृह~~ विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/08/18

सरकार के उप सचिव

Government of Bihar

Department of Home (Police)

Notification

No.-3/finger-01-01/2016-------------------/ In exercise of powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India and Rule-12 Apendix-25 of part-03 of Police manual, the Governor of Bihar is hereby pleased to make the following Rules to regulate the procedure of appointment and other service conditions of Bihar Government Finger Prints Examiner cadre of Criminal Investigation Department under the control of Home Department.

1. **Short Title, Extent and Commencement:-**

   (i) These Rules may be called "Bihar Government Finger Prints Examiner Cadre (Recruitment and Service Condition) Rules, 2018."

   (ii) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

   (iii) It shall come into force at once.

2. **Definition:- In these rules, unless the context otherwise requires-**

   (i) "Governor" means The Governor of Bihar;

   (ii) "Government" means The Government of Bihar;

   (iii) "Department" means The Home Department (Police Branch);

   (iv) "Board of Revenue" means Board of Revenue under The Revenue and Land Reforms Department;

   (v) "Commission" means The Bihar Public Service Commission;

   (vi) "Cadre" means The Bihar Government Examiner of Finger Prints Cadre;

   (vii) "Member of Cadre" means a person appointed under the provisions of these rules and earlier appointed on regular basis and working in the Bihar Government Finger Prints Examiner Cadre;

   (viii) "Departmental Promotion Committee" means the committee duly constituted by The State Government for departmental promotion;

   (ix) "Appointing Authority" means The Governor of Bihar;

   (x) "Controlling Authority" means Home Department (Police Branch);

   (xi) "Year" means Financial Year;

   (xii) "Bureau" means office of Finger Prints Examiner.

3. Constitution of Services:-

(i) There shall be following posts in this Cadre:-

Sl. No.	**Designation**	**Level**
1.	Assistant Government Finger Prints Examiner.	Basic Grade
2.	Deputy Government Finger Prints Examiner-cum-Deputy Director	First Promotional Ladder
3.	Government Finger Prints Examiner-cum- Director	Second Promotional Ladder

The number and pay scale of different posts of this Cadre shall be same as determined by the State Government, from time to time.

(ii) This Cadre shall be state level cadre and under the control of Home Department (Police Branch).

Chapter-II

Recruitment

4. Recruitment:-

(i) All "Assistant Government Examiner of Finger Prints" the basic Grade post of this Cadre shall be filled by direct recruitment on the recommendations of the Commission.

(i) Provisions of reservation and roster in the recruitment and promotion shall be applicable to this cadre, as notified time to time, by the State Government.

5. Qualification and Procedure of Direct Recruitment:-

(i) **Age Limit:-** Minimum age for direct recruitment shall not be less than twenty one year on the first day of August of the year of inviting applications. Maximum age limit shall be the same as determined time to time by the State Government (General Administrative Department).

(ii) **Educational Qualification:-** The eligibility for recruitment in basic grade of the cadre shall be Masters degree or equivalent in Chemistry or Physics or Mathematics or Forensic Science from a recognized university.

(iii) **Selection Procedure:-** Commission may select the candidates as per prescribed procedure For this purpose subject/syllabus/marks (for the purpose of interview and the written examination, if required) shall be determined by the department in consultation with the Commission.

(iv) **Medical Test:-** Medical test of candidates shall be conducted as per the provisions prescribed by the Commission. Especially there should be normal vision without spectacles.

(v) **Calculation of Vacancies and its information to the Commission**:- Department shall calculate the vacancies for the direct recruitment in Bihar Government Finger Prints Examiner Cadre, every year upto the 1st April and shall send requisition for these vacancies for direct recruitment to the Commission by 30th April.

(vi) **Appointment**:- The Commission shall recommend the names of the candidates selected under prescribed procedure, in order of merit and reservation category wise against the requisitioned vacancies to the Department on the basis of which appointments shall be made.

CHAPTER-III

Seniority, Confirmation and Promotion

6. **Seniority**:- Seniority amongst the members of the cadre appointed by direct recruitment under these rules shall be determined on the basis of merit list recommended by the Commission.

7. **Probation Period**:- All new recruitments shall be on probation. The probation period shall be for a period of two years, which may be further extended for a period of one year due to reasons to be recorded in writing. In case of service being found unsatisfactory even in the extended period, the service may be terminated.

8. **Training**:-

(i) total training period shall be two years, during which the newly recruited personnel shall compulsorily have to undertake the following internal trainings-

(a) Preliminary Training of Finger Print science - 06 month.
(b) Training of Foot Print science - 06 month
(c) Intensive Training of Finger Prints science - 01 year.

(ii) It shall be mandatory to pass the following examinations during the training:-

(a) On Completion of the preliminary training of six months of Finger Print Science, written and practical examination of Finger Print Science to be conducted by the Bureau under the supervision of the Director..

(b) On completion of the training of six months of Foot Print Science written and practical examination of Foot Print Science to be conducted by the Bureau under the supervision of the Director.

(c) All India Board Examination for Finger Print Experts conducted by Central Finger Print Bureau, New Delhi, after completion of the Intensive training of Finger Print science.

(iii) The members under probation, after receiving preliminary training in Finger Print science and prescribed training in Foot Print science be eligible to perform search and record as well as visit of scene, of crime.

(iv) As soon as the members of the cadre qualify in All India Board Examination for Finger Print Experts, they shall become a Finger Print Expert as described in section-45 of The Indian Evidence Act, Appendix-II and shall be competent to discharge all the duties and responsibilities of a Finger Print Expert.

(v) The members of this cadre may be sent for training by The State Government within the State or outside the State or to any foreign country.

9. **Confirmation:-** Service may be confirmed on satisfactory completion of the probation period and qualifying the hindi noting and drafting examination conducted by the Rajbhasha department. But in case, when the aforesaid examinations are not conducted in due time then the controlling authority of the cadre may condone the above said necessary conditions for grant of increment in pay or confirmation of the service.

10. **Promotion:-**

(i) Promotion to all the promotional ladders above the basic post of the cadre shall be filled up out of the members of the cadre at immediate lower ladder, on the basis of seniority-cum-merit on the recommendation of Departmental Promotion Committee.

(ii) Completion of the prescribed minimum duration of service and other conditions, if any, determined by the General Administration Department, for the promotions on various posts, shall be mandatorily fulfilled.

CHAPTER- IV

MISCELLANEOUS

11. **Disciplinary, Appeal and Punishment:-** Provisions of Bihar Civil Service (Classification, Control & Appeal) Rules, 2005 (as amended time to time) shall be applicable to the members of this cadre.

12. **Residual Matters**:- The subjects or matters not specifically covered by these rules, provisions made in Bihar Police Manual/ relevant Code/ Rules/ Resolutions/ Orders, by the State Government for the employees of equivalent rank shall be applicable to the members of this cadre also.

13. **Removal of difficulties/ Doubts**:- If any difficulties/ doubts arises as to the interpretation of any of the provision of these rules, the power to remove them shall be vested with Controlling Authority of the cadre, and after consultation with the Law Department, its decision shall be final.

14. **Repeal and saving:-**

(i) All the Rules/Regulation/ Resolutions/Orders and Instructions related to the recruitment of Bihar Government Examiner of Finger Prints prior to the commencement to these rules, are hereby repealed.

(ii) Notwithstanding such repeal, any act done or any action taken under such Rules/Regulation/Resolutions/ Orders and Instructions, prior to the commencement of these rules shall be deemed to be done or taken under these Rules as if it were come into force on the day on which such thing was done or such action was taken.

By order of the Governor of Bihar

Sd/- 10/08/18

(Durgesh Kumar Pandey)

Deputy Secretary to the Government

Memo No.- 3/finger-01-01/2016---7106---/ Patna, Dated---10/8/18

Copy forwarded to Director General of Police, Bihar, Patna/ Additional Director General of Police, Crime Investigation Department, Bihar, Patna for information and necessary action.

Sd/- 10/08/18

Deputy Secretary to the Government

Memo No.- 3/finger-01-01/2016---7106---/ Patna, Dated---10/8/18

Copy forwarded to I.T Manager, Manager, Department of Home, Bihar, Patna for information and necessary action.

Sd/- 10/08/18

Deputy Secretary to the Government